भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
THE NATIONAL STANDARDS BODY OF INDIA
मानक: पथप्रदर्शक:

पटना शाखा कार्यालय एवं प्रयोगशाला, पाटलिपुत्र औद्योगिक प्रांगण, पटना - 800 013
Patna Branch Office & Laboratory, Patliputra Industrial Estate, Patna - 800013
e-mail : ptbo@bis.gov.in, hptbo@bis.gov.in

दूरभाष Phones 2262808 2262305 2271625
फैक्स Fax +91-612-2262305 2275342
तार Grams : मानकसंस्था : Manaksanstha

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक - 19/01/2018

भारतीय मानक ब्यूरो के पटना शाखा कार्यालय को सूचना मिली थी कि मुज्जफरपुर में पैकेजबंद पेयजल निर्माता भारतीय मानक ब्यूरो से बिना लाइसेंस प्राप्त किए अवैध रूप से आईएसआई मार्क पैकेजबंद पेयजल का निर्माण एवं विक्रय कर रहे हैं ।

इस आधार पर कार्यालय प्रमुख द्वारा एक विशेष छापेमारी दस्ता का गठन किया गया एवं तलाशी एवं जब्ती अभियान हेतु दिनांक **19/01/2018** को दस्ते दल को भेजा गया । छापेमारी के दौरान मेसर्स - **जगत नीर उद्योग, ग्राम- प्रतापपुर, पीएस- करजा, जिला- मुज्जफरपुर- 843106** द्वारा पैकेजबंद पेयजल पर भारतीय मानक ब्यूरो के **आईएसआई मार्क का दुरुपयोग करते हुए पाया गया !**

छापेमारी के दौरान उपरोक्त फर्म के पास भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित आईएसआई मार्क पैकेजबंद पेयजल पाया गया जिसको दस्ते दल ने जब्त एवं सील किया ।

अवैध रूप से निर्मित पैकेजंबद पेयज़ल का नमूना दस्ते दल ने जब्त एवं सील कर अपने पास सबूत के तौर पर रखा ।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के नियमों के तहत **आईएसआई मार्क का दुरुपयोग संज्ञेय** अपराध तथा दुरुपयोग पाए जाने पर तथा इसकी कोर्ट की सत्यापन होने पर **कम से कम रु. 2,00000/- का जुर्माना तथा उत्पादनकर्ता को दो वर्ष की सजा या दोनों दिया जा सकता है** । भारतीय मानक ब्यूरो उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने में इस तरह का अभियान गुप्त सूचना के आधार पर, अपने सौजन्य से एवं अन्य आधार पर करता रहता है। **उक्त फर्म के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है ।**

19.01.18

(केसीएस बिष्ट)
वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख